



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Amanaka, Raipur (C.G.), Email-raipurgen@yahoo.com, Phone No.-0771-2262825

क्रमांक / 1498 / गोप. / 2021

रायपुर, दिनांक 16/9/2021

## // अधिसूचना //

### प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश

विषयांतर्गत सेमेस्टर परीक्षा मई-जून- 2021 की सैद्धांतिक परीक्षा दिनांक 08.09.21 से प्रारंभ हो चुकी है। सैद्धांतिक परीक्षा समाप्ति (संबंधित विषय) पश्चात् प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराये जाने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किया जाता है -

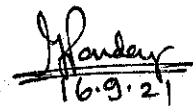
1. प्रायोगिक परीक्षा सैद्धांतिक परीक्षा समाप्ति के पश्चात् 10 दिवस के भीतर कराया जाना है।
2. विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्त किया गया है। यदि बाह्य परीक्षक किसी कारण वश परीक्षा लेने में असमर्थता व्यक्त करते हैं, तो प्राचार्य स्थानीय स्तर पर बाह्य परीक्षक नियुक्त कर प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराएंगे।
3. प्रायोगिक परीक्षा आवश्यकता अनुसार विभिन्न पॉलियों में कराया जा सकता है। प्रति पाली अधिकतम 30 परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषयवार सम्मिलित कर सकते हैं।
4. प्रायोगिक परीक्षा संपन्न होते ही उसी दिन ऑनलाईन पोर्टल पर प्रायोगिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे।
5. साथ ही आंतरिक मूल्यांकन का अंक विश्वविद्यालय Portal में दिनांक 23/09/2021 तक Upload किया जाना है।

विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों/अध्ययनशालाओं को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महाविद्यालयों में प्रति-दिन/प्रति पाली/प्रति विषय अधिकतम 30 परीक्षार्थियों की उपस्थिति के साथ ऑफलाईन प्रायोगिक परीक्षा आयोजन की अनुमति संबंधित जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी के पत्रों के आधार पर (संलग्न पत्र) निम्न शर्तों के अधीन दी गई है :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-59/गृह-सी/2020 दिनांक 18 जून 2021 के द्वारा जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गई है तथा संबंधित जिला कार्यालय द्वारा जिले में प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं। उक्त आदेश में दिये गये समस्त निर्देशों का अनिवार्यता पालन करना होगा।
2. परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा केन्द्र में प्रति पाली अधिकतम 30 परीक्षार्थियों का सम्मिलित होने के अनुमति होगा।
3. संस्थान में प्रवेश एवं निकासी द्वारा पृथक-पृथक हों, यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रवेश एवं निकासी द्वार टच फ्री मोड में हो। परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र छोड़ना सुनिश्चित करेंगे।

4. परीक्षा में शामिल होने वाले समस्त परीक्षार्थियों को सोशल शिष्टाचार का कड़ाई से पालन करना होगा। संस्थान में उपस्थित व्यक्ति खाँसते, छींकते समय टीसू पेपर/रूमाल/मुड़ी हुई कोहनी का अनिवार्यतः उपयोग करेंगे।
5. संस्थान के संचालक/प्राचार्य सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग लाये गये सामग्री का ठीक से निपटारा किया जावे।
6. परीक्षा संचालित होने वाले संस्थान को परीक्षा दिवस के पूर्व सेनेटाईजेशन कराना अनिवार्य होगा।
7. संस्थान में उपस्थित समस्त व्यक्ति/परीक्षार्थियों को सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग, मॉस्क का अनिवार्यतः उपयोग एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना होगा।
8. संस्थान में एक परीक्षार्थी से दूसरे परीक्षार्थी के कुर्सी के मध्य कम से कम छः फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
9. परीक्षा केन्द्र में सेनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जावेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावे।
10. संस्था में एक उपस्थिति रजिस्टर संधारित किया जावेगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्ति/परीक्षार्थी का नाम मोबाईल नम्बर दर्ज किया जावेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
11. इन सभी शर्तों के अतिरिक्त कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश/निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा।
12. उपरोक्त दिये गये सभी निर्देशों का उल्लंघन अथवा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी।

आदेशानुसार

  
16.9.21

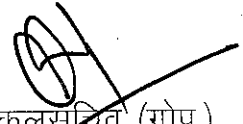
कुलसचिव

पृ. क्रमांक / 1499 / गोप. / 2021

रायपुर, दिनांक : 16/9/2021

प्रतिलिप :-

1. राज्यपाल के सचिव, छ.ग. शासन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
4. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार एवं गरियाबंद को सूचनार्थ।
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहा. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
6. विश्वविद्यालय के समस्त संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षा के सम्पादनार्थ अपने अधिनस्थ विभागाध्यक्षों को इसकी सूचना अनिवार्य रूप से दें।
7. अध्यक्ष, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, अध्ययनशाला।
8. उप-कुलसचिव (परीक्षा) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
9. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
10. सम्पादक, समस्त, स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों को अग्रेषित इस आशय के साथ कि इस अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करेंगे।
11. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
 सहा.कुलसचिव (गोप.)





पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



नं. 1545/अका./2016

रायपुर, दिनांक : 23 /06/2016

6.

## ॥ अधिसूचना ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 18.05.2016 में लिये गए निर्णयानुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की चतुर्थ सेमेस्टर के सैद्धांतिक परीक्षा के अंतिम तिथि के पश्चात् लघु शोध प्रबंध (Desertation) (जिन पाठ्यक्रमों में लघु शोध प्रबंध आवश्यक है) विभाग में जमा करने के लिये 15 दिनों की समय सीमा का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2016 में किया गया है, अधिसूचित किया जाता है।

आदेशानुसार,

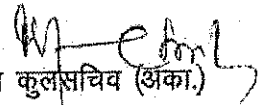
  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 1546/अका./2016

रायपुर, दिनांक: 23 /06/2016

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
2. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,
3. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. समस्त विभागीय अधिकारी,
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)  
22

